रिक्ति अधिसूचना संदर्भ सं. सीएसएल/ सीएमएसआरयू/सा./ पीआरओपी व एपीपीआर/ अनुबंध पर श्रमशक्ति/ 2025/92 दिनांक 14 अक्तूबर 2026

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल), भारत सरकार की एक सूचीबद्ध प्रीमियर मिनीरत्न अनुसूची 'ए' कंपनी **सीएमएसआरयू के लिए अनुबंध के आधार पर कामगार** के निम्नलिखित पद को भरने के लिए पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने वाले भारतीय नागरिकों से **ऑनलाइन आवेदन** आमंत्रित करती है

I. पदों का नाम, शैक्षिक योग्यता और अनुभव :

तालिका 1

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>पद/शाखा का नाम</th><th>शैक्षिक योग्यता</th><th>अनुभव</th></tr>
<tr><td>1</td><td>फैब्रिकेशन सहायक (वेल्डर)</td><td>एसएसएलसी उत्तीर्ण और वेल्डर के ट्रेड में आईटीआई-एनटीसी (राष्ट्रीय व्यापार प्रमाण पत्र)</td><td>अनिवार्य: -
संबंधित ट्रेड में योग्यता प्राप्त करने के बाद कम से कम तीन वर्ष का अनुभव/प्रशिक्षण।
वांछनीय: -
1. हिंदी/मराठी में कुशल संचार कौशल और कार्यसाधक ज्ञान।
2. एमआईजी (सीओ2) वेल्डिंग का अनुभव।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>आउटफिट सहायक- फिट्टर (पाइप)- प्लंबर</td><td>एसएसएलसी उत्तीर्ण और फिट्टर पाइप/प्लंबर के ट्रेड में आईटीआई- एनटीसी (राष्ट्रीय व्यापार प्रमाण पत्र)</td><td>अनिवार्य: -
संबंधित ट्रेड में योग्यता प्राप्त करने के बाद कम से कम तीन वर्ष का अनुभव/प्रशिक्षण।
वांछनीय: -
अच्छे संचार कौशल और हिंदी/मराठी का कार्यसाधक ज्ञान।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>मूरिंग एवं स्काफोल्डिंग सहायक</td><td colspan="2">अनिवार्य:-
एसएसएलसी उत्तीर्ण और सामान्य संरचनात्मक/मूरिंग/स्काफोल्डिंग/रिगिंग कार्यों में कम से कम तीन वर्ष का योग्यता-पश्चात अनुभव/प्रशिक्षण। शीट मेटल वर्कर/फिट्टर पाइप (प्लंबर)/फिट्टर ट्रेड में आईटीआई (एनटीसी) धारकों के लिए अनुभव में एक वर्ष की छूट दी जाएगी।
वांछनीय: -
अच्छा संचार कौशल और हिंदी/मराठी का कार्यसाधक ज्ञान।</td></tr>
</table>

II. महत्वपूर्ण तिथि:

ऑनलाइन आवेदन का प्रारंभ	:	**14 अक्तूबर 2026**
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि	:	**12 नवंबर 2026**

III. रिक्तियों की संख्या और आरक्षण:

तालिका 2

क्र.सं.	पद	शाखा	अनारक्षित	अजजा	कुल
1	फैब्रिकेशन सहायक	वेल्डर	1	0	1
2	आउटफिट सहायक	फिट्टर (पाइप)- प्लंबर	1	0	1
3	मूरिंग एवं स्काफोल्डिंग सहायक		0	1	1
कुल			**2**	**1**	**3**

क) अपनी आवश्यकता के अनुसार रिक्तियों की संख्या बढाने/घटाने या रिक्ति को न भरने या भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार सीएसएल पर निर्भर है।

ख) सीएसएल खतरनाक गतिविधियों में लगा है। दिव्यांगजनों की तैनाती से उन्हें गंभीर जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दिव्यांगजन उम्मीदवार आवेदन न करें।

IV. अनुबंध की अवधि व तैनाती का स्थान:

क) उपर्युक्त पदों का अनुबंध का अवधि परियोजना आवश्यकताओं और व्यक्तिगत प्रदर्शन के अधीन अधिकतम **पांच वर्ष** की अवधि के लिए है।

ख) तैनाती सीएसएल मुंबई पोत मरम्मत यूनिट (सीएमएसआरयू)/ सीएसएल के अन्य यूनिटों/सीएसएल द्वारा वांछितानुसार परियोजना स्थलों पर होगी। हालांकि, परियोजना आवश्यकताओं के आधार पर, उम्मीदवार को सीएसएल की विभिन्न यूनिटों में स्थानांतरित किया जा सकता है। पद पर नियुक्ति के साथ सीएसएल के किसी भी विभाग या ऑनबोर्ड पोत पर या किसी अन्य यूनिट/ कार्य स्थल/ भारत या विदेश के किसी भी भाग में आरंभ की गई परियोजना, जैसे भी मामला हो, में सेवा करने का दायित्व है।

V. पारिश्रमिक:

क) न्यूनतम अनुभव आवश्यकता पूरी करने वाले उम्मीदवारों के लिए समेकित वेतन नीचे सारणीबद्ध किया गया है:

पदों का नाम	वर्ष	समेकित वेतन प्रति महीने	अतिरिक्त कार्य घंटों के लिए मुआवजा (प्रति माह)
फैब्रिकेशन सहायक / आउटफिट सहायक	प्रथम वर्ष	₹ 23,300/-	₹ 5,830/-
	दूसरा वर्ष	₹ 24,000/-	₹ 6,000/-
	तीसरा वर्ष	₹ 24,800/-	₹ 6,200/-
मूरिंग एवं स्काफोल्डिंग सहायक	प्रथम वर्ष	₹ 22,100/-	₹ 5,530/-
	दूसरा वर्ष	₹ 22,800/-	₹ 5,700/-
	तीसरा वर्ष	₹ 23,400/-	₹ 5,850/-

ख) सीएसएल अथवा समान प्रकार शिपयार्डों में नियमित सेवा के अंतर्गत प्राप्त प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव केलिए, निर्धारित न्यूनतम अनुभव से अधिक अनुभव रखनेवाले उम्मीदवारों को उच्चतम वेतन प्रदान किया जा सकता है ।

VI. **आयु:**

क. **पदों केलिए निर्धारित उच्चतम आयु सीमा दिनांक 12 नवंबर 2026 को 45 वर्ष से अधिक न हो, यानी आवदेकों का जन्म दिनांक 13 नवंबर 1981 को या उसके बाद होना चाहिए ।**

ख. अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों पर अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट दी जा सकती है।

ग. पूर्व सैनिकों के लिए आयु में छूट भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार होगी और यह 50 वर्ष तक होगी।

VII. **चयन की रीति:**

क) चयन की रीति में निम्नलिखित विवरण शामिल होंगे:

तालिका 3

पदों का नाम	चयन की रीति व अंक
फैब्रिकेशन सहायक (वेल्डर)	प्रायोगिक परीक्षा – **100 अंक**
आउटफिट सहायक- फिट्टर (पाइप)- प्लंबर	
मूरिंग एवं स्काफोल्डिंग सहायक	**चरण I** : प्रायोगिक परीक्षा – **80 अंक** **चरण II** : शारीरिक परीक्षा – **20 अंक** (प्रायोगिक परीक्षा में प्राप्त ग्रेड़ों के आधार पर)** **कुल-100 अंक**

** जिन पदों के लिए आवेदकों की संख्या अधिक है, उन पदों के लिए प्रायोगिक परीक्षाओं का मूल्यांकन ग्रेड के आधार पर किया जाएगा, जिन्हें अंतिम चयन के लिए अंकों में परिवर्तित किया जाएगा।

ख) प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की संख्या के आधार पर, सीएमएसआरयू विभिन्न पदों के लिए आवेदनों की जांच करने और ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में आवेदकों द्वारा अपलोड किए गए प्रमाणपत्रों के माध्यम से पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने के आधार पर उम्मीदवारों की एक संक्षिप्त सूची तैयार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और केवल लघुसूचीगत उम्मीदवारों को ही चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है।

ग) प्रमाणपत्र सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा करने वाले उम्मीदवारों को चयन परीक्षाओं में भाग लेने के लिए लघुसूचीगत किया जाएगा, जो सीएसएल- मुंबई पोत मरम्मत यूनिट (सीएमएसआरयू) या मुंबई में सीएमएसआरयू द्वारा तय किए गए किसी अन्य स्थान पर आयोजित की जाएगी।

घ) प्रायोगिक और शारीरिक परीक्षा में से प्रत्येक के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक निम्नलिखित होंगे:-

अनारक्षित पदों केलिए – प्रत्येक परीक्षा के कुल अंकों का 50 % ,

अ.ज.जा. उम्मीदवारों केलिए – प्रत्येक परीक्षा के कुल अंकों का 40% केवल अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए अपेक्षित है।

ङ) यदि योग्य उम्मीदवारों की संख्या अपर्याप्त हो तो सीएसएल न्यूनतम उत्तीर्ण अंक में छूट दे सकता है।

च) चयन पात्रता संबंधी आवश्यकताओं (आयु, शैक्षिक योग्यता, आरक्षण और अनुभव आदि) के सत्यापन के अधीन होगा, जिसके लिए उम्मीदवार को आयु, शैक्षिक योग्यता, अनुभव और आरक्षण श्रेणियों के प्रमाण पत्रों के मूल प्रमाण पत्र और स्व-सत्यापित प्रतियां प्रमाण पत्र सत्यापन के समय प्रस्तुत करनी होंगी; अन्यथा उन्हें आगे के चयन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

छ) पद के लिए रैंक सूची अधिसूचित पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने वाले और सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के कुल अंक समान हों, तो संबंधित योग्यता का निर्धारण आयु में वरिष्ठता के आधार पर किया जाएगा।

VIII. शर्तें:

क) आरक्षण :

i. आरक्षण पर भारत सरकार के निदेश लागू होंगे ।

ii. अनुसूचित जनजाति से संबंधित आवेदकों को तहसीलदार से कम रैंक के राजस्व प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया वैध हालिया जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा आरक्षित पदों के लिए उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा, और अन्य रियायतें/छूटें भी इसी श्रेणी के लिए लागू होंगी।

ख) योग्यता:

i. सभी पदों के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता एआईसीटीई/ राज्य/केंद्र सरकार में उपयुक्त वैधानिक प्राधिकरण के द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान/परीक्षा बोर्ड से होनी चाहिए।

ii. किसी भी निर्धारित योग्यता के समकक्ष योग्यता रखनेवाले आवेदकों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी समकक्षता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए और ऐसे प्रमाणपत्र के बिना, उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा ।

ग) <u>अनुभव :</u>

i. **उपरोक्त के अनुसार निर्धारित योग्यता उत्तीर्ण करने की तिथि के बाद प्राप्त अनुभव पर ही विचार किया जाएगा। योग्यता के बाद के अनुभव की अवधि की गणना दिनांक 12 नवंबर 2026 से की जाएगी।**

ii. शिक्षुता अधिनियम 1961 के अंतर्गत संबंधित ट्रेड में पूर्ण किए गए शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि और पारिश्रमिक सहित किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण को पदों के लिए पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से अनुभव के रूप में माना जाएगा। **<u>हालांकि, ऐसे प्रशिक्षण को मासिक समेकित पारिश्रमिक के निर्धारण के लिए अनुभव के रूप में नहीं माना जाएगा।</u>**

iii. आवेदक जो हाल ही में किसी कंपनी (निजी/सार्वजनिक क्षेत्र/सरकारी) में कार्यरत हैं, वे अनुभव प्रमाणपत्र के अभाव में,**कंपनी द्वारा जारी नियुक्ति आदेश या प्रस्ताव पत्र की प्रति, नवीनतम वेतन पर्ची या आखिरी वेतन की प्रति आदि अनुभव के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं । पिछले रोज़गार के लिए कार्यभार ग्रहण करने के साथ-साथ कार्यमुक्ति की तिथि का उल्लेख करते हुए अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।** <u>प्रमाण पत्र सत्यापन प्रक्रिया के दौरान, उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन में दावा किए गए अनुभव को साबित करने के लिए सभी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे; अन्यथा उन्हें आगे की चयन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।</u>

iv. आवेदक जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उन्हें सशस्त्र बलों से सेवामुक्ति प्रमाणपत्र/बुक/ पेंशन भुगतान आदेश प्रस्तुत करना चाहिए । जिन भूतपूर्व सैनिकों को उनके सेवामुक्ति प्रमाणपत्र / बुक में योग्यता का समर्थन किया गया है, उन्हें सशस्त्र बलों में संबंधित शाखा में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए । सेवा अवधि के दौरान अर्जित ऐसी योग्यता को भी योग्यता-पश्चात अनुभव की गणना के लिए विचार किया जाएगा। योग्यता की समकक्षता का दावा करनेवाले भूतपूर्व सैनिकों को प्राधिकरण के साथ उसी के निर्वहन प्रमाणपत्र में समकक्षता या समर्थन का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए (भारत सरकार द्वारा जारी आदेश का संदर्भ लें), अनुभव के प्रमाण के रूप में सशस्त्र बलों में संबंधित क्षेत्र में योग्यता और कार्य अनुभव का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए , जो अनुभव के प्रमाण के रूप में कार्य अनुभव को प्रदर्शित करते हों और प्रमाण पत्र सत्यापन प्रक्रिया के दौरान इन्हें प्रस्तुत करना चाहिए। उन्हें संबंधित अधिकारियों से अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए, ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा ।

v. आवेदकों को संबंधित पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय किए गए कार्य की प्रकृति और कर्तव्यों, जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करना चाहिए, साथ ही इसके प्रमाण स्वरूप अनुभव प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा।

vi. **<u>जो लोग इस रिक्ति अधिसूचना की तिथि तक सीएसएल के कर्मचारियों में फैब्रिकेशन सहायक, आउटफिट सहायक और मूरिंग एवं स्काफोल्डिंग सहायक के रूप में कार्यरत हैं, वे आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।</u>**

घ) <u>आवेदन शुल्क :</u>

i. **आउटफिट सहायक, फैब्रिकेशन सहायक (वेल्डर) और मूरिंग एवं स्काफोल्डिंग के पदों के लिए ऑनलाइन भुगतान विकल्पों (डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/ इंटरनेट बैंकिंग आदि) का उपयोग करके ₹ 300/- (गैर-वापसी योग्य, साथ ही बैंक शुल्क अतिरिक्त)** आवेदन शुल्क भेजा जाना चाहिए, जिसे **दिनांक 14 अक्तूबर 2026 से 12 नवंबर 2026 तक** हमारी ऑनलाइन आवेदन सुविधा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है । **<u>भुगतान का कोई अन्य तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा।</u>**

ii. **अनुसूचित जाति (अ.जा.)/अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) से संबंधित उम्मीदवारों केलिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है ।** उन्हें आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है ।

iii. सभी आवेदक जिनके लिए शुल्क लागू है, अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित लोगों को छोडकर, उपरोक्त खंड में निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करना चाहिए। **यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उनकी उम्मीदवारी पर केवल आवेदन शुल्क प्राप्त होने पर ही विचार किया जाएगा ।**

ङ) <u>आवेदन कैसे करें :</u>

i. आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले www.cochinshipyard.in **(कैरियर पृष्ठ→सीएमएसआरयू, मुंबई) लिंक में प्रकाशित यूज़र मैनुअल और एफएक्यू** को पढना चाहिए। <u>आवेदन दो चरण होते हैं</u> - **एक बार पंजीकरण** और **लागू पद केलिए आवेदन प्रस्तुत करना।** आवेदकों को एक ही पद पर एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत नहीं करना चाहिए । एक बार प्रस्तुत किया गया आवेदन अंतिम होगा ।

ii. अधिसूचित आवश्यकताओं को पूरा करनेवाले आवेदक **एसएपी ऑनलाइन पोर्टल में एक बार पंजीकरण कर सकते हैं और आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं ।** अपना आवेदन करने की सुविधा हमारी वेबसाइट www.cochinshipyard.in **(कैरियर पृष्ठ → सीएमएसआरयू, मुंबई) के माध्यम से दिनांक 14 अक्तूबर 2026 से 12 नवंबर 2026 तक** प्राप्त की जा सकती है । **<u>सीधे या किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत किया गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा ।</u>**

iii. आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आयु, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, जाति आदि के प्रमाण के रूप में सभी प्रमाणपत्र और एक हालिया पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटोग्राफ एसएपी ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर अपलोड किया गया है अन्यथा उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

iv. आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियां सही ढंग से भरी गई है और आवेदन सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया गया है । ऑनलाइन के माध्यम से अंतिम रूप से प्रस्तुत करने के बाद, आवेदन में प्रदान किए गए विवरण में परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी क्षेत्र में कचरा विवरण भरने से आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है ।

v. विज्ञापन अधिसूचना के अनुसार सभी मामलों में आवेदन प्रपत्र पूर्ण होना चाहिए। **कृपया ध्यान दें कि अधूरे आवेदन/ वापस लिए गए आवेदन/ मसौदा स्थिति वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा ।** आवेदन को सफलतापूर्वक जमा करने पर, आवेदन की स्थिति **"प्रगति में"** के रूप में (इनप्रोसस) दिखाई जाएगी । आवेदन की प्रस्तुति के बाद ,उम्मीदवार" माई एप्लिकेशन्स" लॉग इन करें और प्रक्रिया की पूर्ति सुनिश्चित करें कि आवेदन की स्थिति **"प्रगति में"** है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रक्रिया पूरी हो गई है। आवेदन सफलतापूर्वक जमा करने या आवेदन वापस लेने के बाद शुल्क की वापसी पर विचार नहीं किया जाएगा।

vi. **ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करने के बाद, आवेदकों को उनके संदर्भ केलिए सिस्टम द्वारा उत्पन्न एकमात्र पंजीकरण संख्यावाले ऑनलाइन आवेदन की एक सॉफ्ट कॉपी/ मुद्रित प्रति को अपने पास रखना चाहिए ।** ऑनलाइन आवेदन पर पंजीकरण संख्या सीएसएल के साथ किसी भी पत्राचार केलिए उद्धृत की जानी चाहिए।

vii. ***आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित प्रति/ प्रमाणपत्र/डीडी/चालान/चेक के रूप में आवेदन शुल्क सीएसएल/ कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड- मुंबई पोत मरम्मत यूनिट (सीएमएसआरयू) को डाक द्वारा भेजने की आवश्यकता नहीं है ।***

viii. वेबसाइट दिनांक **14 अक्तूबर 2026** से आवेदन प्रस्तुत करने के उद्देश्य से कार्यशील रहेगी और ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दिनांक **12 नवंबर 2026** है । अंतिम तिथि पर वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक से बचने केलिए, जिसके परिणामस्वरूप आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सीएसएल वेबसाइट पर लॉग इन करें और अंतिम तिथि से पहले आवेदन प्रस्तुत करें । ***आवेदन की अंतिम तिथि को आवेदन करनेवालों को अंतिम तिथि के 1600 बजे के बाद ई-मेल/फोन द्वारा एसएपी आवेदन पोर्टल में कोई समस्या निवारण सहायता/तकनीकी सहायता नहीं मिल सकती है ।***

च) सामान्य :

i) **आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन जमा करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वे पदों के लिए रिक्ति अधिसूचना के अनुसार पात्रता आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं।**

ii) भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा :- भूतपूर्व सैनिक एक व्यक्ति है।

(क) जिसने भारतीय संघ की नियमित सेना, नौसेना और वायु सेना में किसी भी रैंक में योद्धा या गैर-योद्धा के रूप में सेवा की है, और

i) जो या तो अपने अनुरोध पर या नियोक्ता द्वारा अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात सेवानिवृत्ति या कार्यमुक्त या ऐसी सेवा से मुक्त किया गया है; या

ii) जिसे सैन्य सेवा या उसके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर ऐसी सेवा से मुक्त किया गया हो और चिकित्सा या अन्य दिव्यांगजता पेंशन से सम्मानित किया गया हो; या

iii) स्थापना में कमी के परिणामस्वरूप ऐसी सेवा से जिसे मुक्त किया गया है;

(ख) जो इस तरह की सेवा से अनुबंध की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के पश्चात, अपने स्वयं के अनुरोध के अलावा, या बर्खास्तगी, या कदाचार या अक्षमता के कारण निर्वहन के ज़रिए मुक्त किया गया हो, और एक उपदान दी गई है; और प्रादेशिक सेना के कार्मिक, अर्थात निरंतर सन्निहित सेवा या अर्हक सेवा के टूटी हुई अवधि के लिए पेंशन धारक इसमें शामिल हैं; या

(ग) सेना डाक सेवा के कार्मिक जो नियमित सेना के हिस्सा हैं और सेना डाक सेवा से पेंशन के साथ अपनी मूल सेवा में प्रत्यावर्तन के बिना सेवानिवृत्त हुए हैं, या सेना डाक सेवा से चिकित्सा आधार पर जारी किए गए हैं या सैन्य सेवा या उनके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों से परे और चिकित्सा या अन्य दिव्यांगजता पेंशन से सम्मानित ; या

(घ) कार्मिक, जो अप्रैल 14, 1987 से पहले छह महीने से अधिक समय तक सेना डाक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर थे; या

(ङ) प्रादेशिक सेना के कर्मियों सहित सशस्त्र बलों के वीरता पुरस्कार विजेता ; या

(च) चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त किए गए या निकाले गए पूर्व-भर्ती और जिन्हें चिकित्सा दिव्यांगता पेंशन प्रदान किया जा रहा हो ।

iii) सीएसएल को उम्मीदवारों से शैक्षिक योग्यता/अनुभव/अन्य अधिसूचित पात्रता आवश्यकताओं के समर्थन में किसी भी अतिरिक्त दस्तावेज़ी प्रमाण का मांग करने का अधिकार है, जैसा कि उनके आवेदन में दर्शाया गया है, और ऐसे प्रश्नों की सूचना/उत्तर केवल ई-मेल cmsru.career@cochinshipyard.in के ज़रिए ही होना चाहिए। हालांकि, सीएमएसआरयू निर्धारित तिथि और समय के भीतर ऐसे ई-मेल की किसी भी विलंब/प्राप्ति के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा। निर्धारित तिथि और समय के बाद प्राप्त ऐसे किसी भी प्रश्न के उत्तर पर विचार नहीं किया जाएगा, और इस संबंध में आगे किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

iv) लघुसूचीगत किए गए उम्मीदवारों के मूल प्रमाणपत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय या सीएसएल किसी अन्य चरण में फिर से सत्यापित किया जाएगा। आयु, योग्यता, अनुभव,

जाति, दिव्यांगजता, चिकित्सा स्वस्थता आदि के प्रमाण में मूल प्रमाणपत्रों का सत्यापन और अधिसूचित पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने पर उम्मीदवारी पूर्ण रूप से अस्थायी है। प्रमाणपत्र सत्यापन/शामिल होने के समय यदि उपरोक्त सूचीबद्ध उम्मीदवार पात्रता आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं या मूल रूप में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं या यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा दी गई कोई जानकारी झूठी/गलत है या किसी भी उचित जानकारी को छिपाया जा रहा है, तो उम्मीदवार के चयन पर विचार नहीं किया जाएगा और बिना किसी सूचना के उम्मीदवारी रद्द/अस्वीकार कर दी जाएगी।

v) **अपात्रता के मामले में आवेदन की अस्वीकृति के संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।**

vi) **चयन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु उम्मीदवारों को कोई यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा।**

vii) **<u>लघुसूचीगत किए गए उम्मीदवारों को डाक द्वारा बुलावा पत्र नहीं भेजा जाएगा।</u>** उन्हें बुलावा पत्र डाउनलोड करने केलिए ई मेल/ सीएसएल वेबसाइट **www.cochinshipyard.in** के माध्यम से सूचित किया जाएगा। **चयन की अनुसूची ईमेल/सीएसएल वेबसाइट (कैरियर पृष्ठ→ सीएमएसआरयू, मुंबई) के माध्यम से लघुसूचीगत उम्मीदवारों को सूचित की जाएगी ।** उम्मीदवारों से अनुरोध है कि चयन से संबंधित अद्यतन केलिए उपरोक्त वेबसाइट **(कैरियर पृष्ठ→ सीएमएसआरयू, मुंबई)** को बार- बार देखें।

viii) केवल ऑनलाइन के ज़रिए आवेदन जमा करने और चयन हेतु बुलावा पत्र जारी करने से आवेदक को उम्मीदवारी की स्वीकृति का कोई अधिकार नहीं मिलेगा या पात्रता मानदंड को पूरा करने की पावती के रूप में नहीं माना जा सकता है या नियुक्ति का प्रस्ताव नहीं है और आवेदक को सीएसएल में रोज़गार के किसी भी दावे का हकदार नहीं होगा।

ix) रिक्तियां पूर्ण रूप से एक निश्चित अवधि केलिए अनुबंध के आधार पर हैं और सीएसएल, चयनित उम्मीदवारों की अनुबंध अवधि के दौरान या उसके बाद नियुक्ति की पेशकश करने हेतु उत्तरदायी नहीं है।

x) नियुक्ति के लिए लघुसूचीगत उम्मीदवारों को सीएमएसआरयू द्वारा निर्धारित अस्पतालों में चिकित्सा जांच किया जाना है। सीएसएल/ सीएमएसआरयू के चिकित्सा अधिकारी द्वारा ऐसी चिकित्सा जांच की रिपोर्ट की जांच की जाएगी और उम्मीदवार की नियुक्ति चिकित्सा स्वस्थता के प्रमाणीकरण के अधीन होगी।

xi) सीएसएल सरकारी/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पहले से कार्यरत किसी भी उम्मीदवार के पिछले रोजगार से संबंधित वेतन/ छुट्टी वेतन/ उपदान/ पेंशन योगदान आदि केलिए कोई दायित्व वहन नहीं करेगा।

xii) सभी पदों के लिए रैंक सूची बनाए रखी जाएगी और रैंक सूची की वैधता अवधि अंतिम उम्मीदवार की रिपोर्टिंग की तारीख से 18 महीने तक होगी जो परिणाम के प्रकाशन पर

शामिल होने के लिए सलाह दी गई उम्मीदवारों की सूची से, या उसी पद के लिए नई अधिसूचना जारी होने तक होगी । यदि रैंक सूची से शामिल होने के लिए सलाह दी गई उम्मीदवार के शामिल न होने या रैंक सूची से चयनित उम्मीदवार के बाद में अलग होने के कारण कोई रिक्ति होती है, तो रैंक सूची संचालित की जा सकती है। रैंक सूची को सक्षम प्राधिकारी से विशिष्ट अनुमोदन के साथ रैंक सूची की वैधता के दौरान उत्पन्न होने वाली भविष्य की रिक्तियों को भरने के लिए भी किया जा सकता है।

xiii) इस अधिसूचना में दर्शाए गए पदों की संख्या वर्तमान आवश्यकता पर आधारित है और भविष्य की आवश्यकताओं के आधार पर अलग होगी और रैंक सूची की वैधता अवधि के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को सीएसएल के निर्णय पर उस रैंक सूची से भरा जाएगा।

xiv) उपरोक्त या किन्हीं अन्य शर्तों के बावजूद, सीएसएल अधिसूचित रिक्तियों को न भरने का अधिकार भी रखता है। इसके अलावा, अधिसूचित रिक्तियों को भरना, रैंक सूची में उम्मीदवारों की उपयुक्तता, परियोजनाओं की उपलब्धता और नौकरी की आवश्यकताओं के अधीन होगा। यदि आवश्यक हो तो बिना किसी सूचना के या बिना कोई कारण बताए सीएसएल को भर्ती प्रक्रिया प्रतिबंधित करने / बदलने/ रद्द करने/ संशोधित करने का अधिकार है।

xv) आवेदन जमा करना आवेदक द्वारा इस रिक्ति अधिसूचना के सभी नियमों और शर्तों के बिना शर्त स्वीकृति के रूप में माना जाएगा।

xvi) चयनित उम्मीदवार को कार्यस्थल पर स्मार्ट फोन के उपयोग के संबंध में सीएसएल नीति का अनुपालन करने का वचन देना आवश्यक है।

xvii) इस चयन से संबंधित सभी दस्तावेज़ों को परिणाम के प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के लिए संरक्षित किया जाएगा।

xviii) इस विज्ञापन से उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे या विवाद के संबंध में कोई कानूनी कार्यवाही और/ या उसके जवाब में एक आवेदन और उसके बाद चयन प्रक्रिया केवल एर्णाकुलम के न्यायालयों/ न्यायाधिकरणों/ फॉरम में संस्थापित किया जा सकता है और ऐसे न्यायालयों/ प्राधिकरणों के पास एकमात्र और अन्य अधिकार क्षेत्र होगा।

xix) इस विज्ञापन में कोई संशोधन, सुधार या परिवर्धन केवल सीएसएल वेबसाइट में प्रकाशित किया जाएगा।

xx) विज्ञापन और चयन के आयोजन से संबंधित किसी और आगे स्पष्टीकरण केलिए हमें कृपया cmsru.career@cochinshipyard.in ईमेल या फोन नं **9840012761** पर संपर्क करें।

"किसी प्रकार की मतार्थना अयोग्यता मानी जाएगी।"

"केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन कर सकते है।"

ह/-
महाप्रबंधक (मानव संसाधन व अध्ययन विकास)